## उत्तराखण्ड शासन <sub>133</sub> क्ति विभाग सं0 /XXVII(8)/वाणि0 कर (वैट)/ 200**9** दिनांक= देहरादून = ॐ८ फरवरी, 2009

## <u>अधिसूचना</u>

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008(अधिनियम संख्या 13, 2008) की धारा 16, सपितत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (समय—समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

# उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ '

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाऐं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि, विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकृत न हो—
  - (क) 'अधिनियम' से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 अभिप्रेत हैं:
  - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
  - (ग) 'घारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
  - (2) शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

ब्यौहारी का पंजीकरण

3.

(1) कोई ब्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के मुगतान के लिए दायी है तथा पहले से ही उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, के अधीन पंजीकृत है, अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए दायी नहीं होगा, तथापि, उससे धारा 8 के अधीन

VAT Amendment Provide Lar Neum. 2008(HindiVD)

\_\_\_

कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप—क में सूचना प्रेषित करना अपेक्षित होगा।

(2) कोई ब्यौहारी जो उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन एंजीकृत नहीं है तथा अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उस तारीख से, जिससे ऐसा ब्यौहारी इस प्रकार दायी हो गया है, के तीस दिन की अवधि के भीतर उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन विहित प्ररूप—1 में रूठ 200/—(दो सौ रुपया) पंजीयन फीस के जमा के साक्ष्य के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा:

परन्तु यह कि ब्यौहारी जो विहित समय के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र देने में असमर्थ रहता है, अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस उपनियम में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए रू० 100/-(एक सौ रुपये) की दर से विलम्ब फीस जमा करने के बाद प्रार्थना पत्र दे सकता है।

- (3) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थना पन्न व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही एवं पूर्ण है तथा फीस अथवा विलम्ब फीस, यदि कोई हो, जमा कर दी गयी है, तो वह, जब तक कि जमानत मांगना आवश्यक न समझे, ऐसी जांच, जैसी कि ठीक समझे, करने के बाद ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है तथा प्ररूप—ख में पंजीयन प्रमाण पन्न प्रदान कर सकता है।
- (4) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जमानत मांगी गयी है तो ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान होने पर जमानत जमा करने के बाद ही ब्यौहारी को पंजीकृत किया जायेगा तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) पंजीयन प्रार्थना पत्र के मंजूर किये जाने, संशोधन तथा निरस्त किये जाने अथवा पंजीयन प्रार्थना पत्र के अस्वीकार किये जाने अथवा जमानत की मांग हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 15, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित

लागु होंगे।

(6) पंजीयन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण ऐसे ब्यौहारी के द्वारा किसी अवधि के लिए कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य देयों के मुमतान के दायित्व को प्रमावित नहीं करेगा चाहे ऐसे कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य किसी देय का निर्धारण निरस्तीकरण से पूर्व अथवा बाद में किया जाये।

# विवरणियों का प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्धारण

(1) प्रत्येक ब्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है कर निर्धारक प्राधिकारी को कर अवधि के लिए अपनी विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप–ग में दाखिल करेगा।

(2) विवरणियों, वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्घारण हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 11 तथा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की घारा 25 एवं 26 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम के अधीन सभी ब्यौहारियों पर लागू होंगे।

(3) कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जांच जैसी कि वह आवश्यक समझे, कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ब्यौहारी के माल के सकल मूल्य तथा धारा 5 के अधीन कर, के विलोमितिकरण की धनसंशि का अक्वारण करेगा तथा देय कर एवं विलोमित कर यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

परन्तु यह कि ऐसे ब्यौहारी के मामले में, जो कि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करता है, कर निर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर निर्घारण आदेश पारित कर सकता है तथा देय कर एवं विलोमित कर का निर्धारण कर सकता है;

परन्तु यह और कि माल के सकल मूल्य तथा विलोमित कर की घनराशि का सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक के आधार पर अवधारण करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी, ब्यौहारी द्वारा दाखिल विवरणियों, यदि कोई हो, के स्वीकार न किये जाने के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी करेगा तथा उसका उत्तर दाखिल करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

यदि ब्यौहारी द्वारा जमा किये गये कर की कुल धनराशि निर्धारित कर की धनराशि से भिन्न है तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तर की घनराशि/वसूल अथवा, जैसी भी स्थिति हो, जमा की जायेगी।

١\_

# कर के उद्ग्रहण का विलोमितिकरण

5.

(1) राज्य के मीतर सम्व्यवहारों के मामले में कोई ब्यौहारी जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क).(ग) तथा (ङ) के अधीन कर के उद्ग्रहण के विलोमितिकरण का दावा करता है, क्रेता अथवा परेषती ब्यौहारी से प्ररूप-ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और उसके मूल माग को प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के बाद तीन माह के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को दाखिल करेगा;

परन्तु यह कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्बन्धित ब्यौहारी पर्याप्त कारणों से उपरोक्त समय के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ था तो वह ऐसे प्रमाण-पत्र को ऐसे अग्रतर समय, जो कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु विहित समय के बाद न हो, ऐसे प्रमाण-पत्र को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 30 के उपनियम (2) से उपनियम (16) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) उपनियम (1) के अधीन विहित एक एकल प्ररूप में अधिकतम 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष के दौरान किये गये सम्व्यवहार आच्छादित होंगे किन्तु यह मौद्रिक, सीमा निम्नलिखित प्रकार के ब्यौहारियों पर लागू नहीं होगी:—

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग, किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा उत्तराखण्ड अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा गढित कोई नियम अथवा उपक्रम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसका वार्षिक आवर्त 5 करोड़ रुपये अथवा अधिक हो, अथवा

(ख) ब्यौहारी, जिसका सालाना आवर्त 25 करोड़ रुपये अथवा अधिक है।

(4) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के भामले में कोई ब्यौहारी, जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख),(घ) तथा (ङ) के अधीन कर के विलोमितिकरण का दावा करता है, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उपनियम (1),(5),(10),(11) तथा (11क), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी को दाखिल किया गया घोषणा पत्र अथवा प्रमाण-पत्र कर के विलोमितिकरण

का पर्याप्त सबूत होगा।

(5) कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 41, 42 तथा 43 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

# मुगतान की रीति 6.

7.

उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान की रीति के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

विनिर्माता द्वारा कर वसूली तथा जमा किया जाना उत्तराखण्ड का विनिर्माता जो कि उत्तराखण्ड में किसी व्यक्ति को घारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल का विक्रय, सम्भरण अथवा अन्यथा प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार है—

(क) वह सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त करेगा और उसे राजकीय कोषागार में अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख से पूर्व जमा करेगा;

परन्तु यह कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 20 तारीख तक संग्रहीत कर उस माह की 25 तारीख तक जमा किया जायेगा;

- (ख) कर निर्घारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व ऐसे आवर्त की मासिक विवरणी फार्म (ङ) में उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना देते हुए कर जमा करने के सबूत हेतु कोषागार चालान के साथ दाखिल करेगा:
- (ग) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट बिक्री बीजक ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को जारी करेगा, जिसमें प्रवेश कर अलग से दिखाया जायेगा;
- (घ) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट विर्निमाता द्वारा जारी बिक्री बीजक अधिनियम के अधीन देय कर के मुगतान का पर्याप्त सबूत माना जायेगा।

(आलोक कुमार जैन) प्रमुख सचिव, वित्त। ् संख्या— 133 /xxvII(8) /वाणिज्य कर(वैट) / 2006 तद्दिनांक प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- महालेखाकार, उत्तराखण्डी

अायुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त प्रवेश कर नियमावली की सूचना सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों, टैक्स बार संघों व विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250--250 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4— गार्ड फाइल।

आज्ञा से, (मिक्क्प्राध्य (सीव्य<del>ुचावसम्बात)</del> अपर सचिव, वित्त।

Car Payant. 2000(Pana)(C)

#### प्ररूप-क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड [उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम(1) देखें] उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीयन सम्बन्धी सूचना देने के लिए प्ररूप।

सेवा में, कर निर्धारक प्राधिकारी, सर्किल / सैक्टर	
मैं	वेव / क्लब अथवा संगम (एसोसिएशन) / र के विमाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से के प्रधान अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत के नाम तथा अभिनाम के अन्तर्गत कारबार चला पता) पर आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित है म, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के है जो किसे वैध है।
<b>प्रयोजन</b> 1— उपमोग के प्रयोजनार्थ 2— उपयोग के प्रयोजनार्थ 3— विक्रय के प्रयोजनार्थ	माल का नाम
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना एवं विश्वास से सही एवं पूर्ण हैं।	। पत्र में दिये गये विवरण मेरी सर्वोत्त्म जानकारी
	प्रार्थी के हस्ताक्षर ब्यौहारी के सम्बन्ध में प्रास्थिति स्थायी पता
स्थान दिनांक	

#### प्ररूप-ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें

प्रतिपर्ण	
पंजीयन संख्या	धारा ८ के
ब्यौहारी का नाम	पंजीयन स
कारबार का मुख्य स्थल	में, कर नि
शाखाएं	ऐतदद्वारा
(1)	यजीकृत व
(2)	के बन्द हे
(3)(3)	की तारीख
	रहेगा। क
	स्थित है व
	तथा अभि
	शाखाएं नि
प्रार्थना पत्र की तारीख	1
प्रमाण पत्र स्वीकृति की तारीख	2
कर निर्घारक प्राधिकौरी के हस्ताक्षर	3
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम	तारीख
सर्किल / खण्ड	मुहर
	कर निर्धार
	सर्किल / र

#### प्ररूप-ख

ब्यौहारी की प्रति
धारा 8 के अधीन पंजीयन का प्रमाण-पत्र
पंजीयन संख्या
मैं, कर निर्घारक प्राधिकारी सर्किल / खण्ड
ऐतद्द्वारा सर्वश्रीकोसे प्रभावी
पंजीकृत करता हूँ। पंजीयन प्रमाण-पत्र कारबार
के बन्द होने अधवा पंजीयन के निरस्तीकरण
की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, तक प्रवृत्त
रहेगा। कारबार का मुख्य स्थलपर
स्थित है और कारबार सर्वश्रीके नाम
तथा अमिनाम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।
शाखाएं निम्नवत् हैं::-
1
2
3
तारीखहस्ताक्षर
मुहर
कर निर्घारक प्राधिकारी का नाम
सर्वित / आर

#### प्ररूप-ग

#### वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 4 का उपनियम(1) देखें] कर विवरणी मासिक / त्रैमासिक

				(केवल	। बड़े अद	रों में भर	जाय)
1.	कर निर्धारण वर्ष 🕒			-		i _	
2.	को समाप्त होने वाली कर अवधि	-		 			
						•	
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का	<u> </u>		<u> </u>			
	पदनाम			]			
						_	
4.	सर्किल/खण्ड का नाम	-		1.—			
L							]
5.	ब्यौहारी / फर्म का नाम / पता	<u> </u>		<u> </u>			
					_		
6.	करदाता की पहचान (दिन)	Π-		<del>-</del>			
	संख्या *						

7. स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर की संगणना

<b>₽</b> 0	माल का		•		में माल की प्रापि			
सं०	नाम		खण्ड के	स्थानीय क्षेत्र		स्थानीय	। क्षेत्र के मीतर र	<b>से</b>
		बाह	इर से	के बाहर से				
		1	•	किन्तु ्				1
		i		उत्तराखण्ड के				
				भीतर	<u></u>			,
			2 की	विनिर्माता से	अन्य से		विनिर्माता से	अन्य से
			रा(1) के	मल का मूल्य	<b>धा</b> रा २ व		माल का मूल्य (रु0 में)	धारा २ की
	İ		(व) के	(रु० में)		उपवारा(1) के		उपधारा(1) के
			न्यथा			खण्ड(च) के अधीन		खण्ड(च) के
			षेत माल			यथा परिभाषित माल		अधीन यथा
			मूल्य	'	का मूल्य		ļ	परिमापित
		( <del>र</del> ु	0 में)		(रुo मे)			माल का मूल्य
	_		_		<del> </del>		6	(रु० में)
1	2	1	3	4	5	5		7
					<del>-</del>			<u> </u>
		<b></b>						<u> </u>
योग		<del> </del>		_	<del> </del>	••		
L I	<del> </del>	<u> </u>	<del></del>		 एक का का गौग			L
				मूल्य एवं <del>उस्त प</del>	र कर का ब्यौर विनिर्माता को		ागार में	शेष
	कामूल्य   १०मे)	कर की दर	कर का धनराशि		खानगता का मुगतान किया		ागरः म न किया	₹IЧ
14	~ ~	44	- अनुस्तास		नुगराण प्रका गया कर		॥ कर	
}				हो	141.40	"	" "	
Ĺ					•		I	

8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14[10-(11+12+13)]
<u> </u>				<u></u>		
<del>-</del> -	<u>-</u>				<del></del>	

8. उपमोग, उपयोग, दिक्रय अथवा अन्यथा निस्तारित मात्र का क्रीज

	1. 0 1 41 1,	ापक्रम अथपा अन्य	व्या । यस्तामस्त मा	ल का स्वारा		
<b>3</b> 50	माल का	ब्यौहारी द्वारा	उपमोग, उपयोग	. विक्रय अध	वा अन्यथा निस्त	रित माल का ब्यौरा
− OiFF	नाम	अन्तर्राज्यीय	उत्तराखण्ड के			
		व्यापार एवं	मीतर किन्तु	स्थानीय	उपभोग	धारा 5 की उपधारा(1)
!!		वाणिज्य के	स्थानीय क्षेत्र	क्षेत्र के	अथवा	के खण्ड(क),(ग) तथा
]	•	दौरान अथवा	के बाहर	भीतर	उपयोग किये	(ङ) तथा उपचारा (२)
		नियति के	विक्रय	विक्रय	ग्ये	में यथा विर्निदिष्ट
ļ		दौरान अथवा	į	•	माल का मूल्य	अन्यथा निस्तारित
1 1		विक्रय के	•			माल का मूल्य
		अन्यथा माल का				(रु० में)
		अन्तरण				
1	2	3	4	5	6	7
<u> </u>				-	· <b>-</b>	_
योग	,				-	· · · · ·

# 9. जमा किये गये कर का ब्यौरा

बैंक/शाखा का नाम	कोषागार	दिनांक			क	र की ध	नराशि			· <del></del>	
का नाम	चालान सं0						•				
					_						
योग	अंकों में			_					<del> </del>		H
योग	शब्दों में		•	<u> </u>			<b></b> .,	<u> </u>			Н

#### संलग्नक—

- 1-- कोषागार चालान।
- 2— अनुलग्नक किं-क्रमांक 7 के स्तम्म 3,4,5,6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्म के लिए क्रय के ब्यौरे के लिए। 3-- अनुलग्नक खं-क्रमांक 8 के स्तम्म 3,4,5,6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्म के लिए विक्रय के ब्यौरे के
- 4—अनुलग्नक 'ख' क्रमांक 7 के स्तम्म 11 में दावाकृत छूट(रिबेट) के ब्यौरे के लिए।

#### धोवगः

मैंपुत्र, पुत्री, पत्नीप्रास्थिति(अर्थात स्वामी, निदेशक, साझीदार इत्य	
एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि भेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से	डस
विवरणी में दिए गये सभी विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं और कोई भी बात न तो जानबूझकर छिपाई ग	ਤੇ ਵੈ
और न गलत रूप से कही गयी है।	•
स्थानहस्ताक्षर	
दिनांक प्रास्थिति	

ý

# <u>अनुलग्नक— के</u>

प्ररूप-म के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3,4,5,6, तथा 7 के विरुद्ध क्रय की सूची.......कर अवधि.....से के लिए अलग से दाखिल किया जाना है।

1- क्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता	_
2— टिन	
3— कर निर्धारण वर्ष 2 0 —	
4- कर अवधि समाप्ति - 2 0 की तारीख	

					य का विवर	<u> </u>			
5 那0 屯0	विक्रयकर्ता ब्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	बिल/बिक्री बीजक/ चालान सं0	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मू0व0क0 (दैट) की धनराशि	प्रदेश कर की धनराशि	रिबेट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	В	9	10 _
	-								

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नामप्रास्थिति
ब्यौहारी का नाम एवं पता
-1417
413 F

Lk.

### धनुतग्नक— ख

े प्ररूप–ग के क्रमांक 8 के स्तम्भ 3,4,5,6,	तथा 7 के विरुद्ध	क्रय की सूचीकर	अवधिसे के लिए
अलग से दाखिल किया जाना है।			

1-	विक्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता								
2-	<b>ਟਿ</b> ਸ								
3—	कर निर्घारण वर्ष	2	0	į					
4-	कर अवधि समाप्ति की तारीख			_		-	2	0	

5—		विक्रय का विवरण						
क्र०सं०	क्रेता	टिन	बिल / बिक्री	तारीख	वस्तु का	माल की	तत्समान	विलोमित
į į	ब्यौहारी		बीजक /		नाम	विक्रय	क्रय	कर, यदि
ļ i	का नाम		चालान सं0			कीमत मूल्य	धनराशि	कोई हो,
	एवं पता	4				(रु० में)	(रु० में)	(रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							,	
					·			

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम
प्रास्थितिब्यौहारी का नाम एवं पता

# <u>अनुलग्नक ग</u> (क्रमांक ७ के स्तम्म 11 में दावाकृत छूट(रिबेट) का ब्यौरा)

1- क्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता	
1	<u></u>
2—   टिन	
3— कर निर्धारण वर्ष	2 0
4- कर अवधि समाप्ति की तारीख	- 2 0

5-				क्र	य का विदर	ण			
क्र0 सं0	विक्रयकर्ता ब्यौहारी का नाभ एवं पता	टिन	बिल/बिक्री बीजक/ बालान सं0	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मूठवठकठ (वैट) की	निहित प्रवेश कर की धनराशि	दावाकृत छूट (रिबेट) की घनराशि, यदि कोई
1	2	3	4	5	_6	7	धनराशि 8	9	हो. 10
									<u> </u>

अधिकृत व्यक्ति के हस्तासर
पूरा नाम
प्रास्थिति ब्यौहारी का नाम एवं पता

13

#### प्ररूप-घ

वाणिज्य कर विमाग, उत्तराखण्ड [उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें] क्रम **सं**0..... प्रतिपर्ण (क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र) (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर 2— जारी करने वाले अधिकारी का नाम जारी करने वाले अधिकारी की मुहर 4— जारी करने की तारीख 5— ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता (ਟਿਜ)\_\_\_\_\_ 6- अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रमावी होने की तारीख (ब्यौहारी द्वारा भरा जायेगा) 1— मैं......(पूरा नाम), एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या.....है जो .....से प्रमावी है। 2— मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि <del>उक्त</del> फर्म ने सर्वश्री.....से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं0..... \_\_\_\_\_दिनांक\_\_\_\_\_\_सं\_\_\_\_ रु० मृत्य का\_ \_\_\_\_(माल का नाम लिखें) क्रय किया हैं / प्राप्त किया है तथा इस माल पर— (बैंक / शाखां / कोषागार / उपकोषागार का नाम एवं पता) मुगतान किया गया है। \*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री......को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा पत्र सं0......तारीख.....पात किया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... प्रास्थिति.....

**'जो** लागू न हो उसे काट दें।

#### प्ररूप–घ

# वाणिज्य कर विमाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें]

क्रम संo	
् द्वितीय प्रति	
(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये उ	गाने वाला प्रमाण पत्र)
कार्यालय द्वारा भरा र	जायेगा)
1— जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	***************************************
2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम	
3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर	
4- जारी करने की तारीख	
5- ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता	(ਟਿਜ)
6— अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड	V- y
(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन	
एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या	
तथा इसके प्रभावी होने की तारीख	
	***************************************
(व्यौहारी द्वारा भरा ज 1— मैं(पूरा नाम), एतद्द्वारा प्रमाणित करता हे उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनयम, 2005) अनुकूर पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्याहै जोहै जो	ूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथव तन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत से प्रभावी है। से बिल / बिक्री बीजक / चालान संo (माल का नाम लिखें) क्रय किया तारीख द्वारा तान किया गया है।
स्थान	
	<b>इस्ताक्षर</b>
दिनांक	प्रास्थिति
ैंजो लाग न हो उसे काट दें।	

W

#### प्ररूप–घ

# वाणिज्य कर विमाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें|

,	and the state of t
क्रम सं0	
मूल प्रति	
(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये र	नार्रे साम गुरुव्य गर्भ
क्रियांच्या जार कर	भाग वाला प्रमाण पत्री
कार्यालय द्वारा भरा र 1— जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	जायगा)
2— जारी करने वाले अधिकारी का नाम	
<ul><li>जारी करने वाले अधिकारी की मुहर</li></ul>	***************************************
4- जारी करने की तारीख	41 BL
5- ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता	(ਟਿਜ)
6- अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड	
(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन	•
एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या	
तथा इसके प्रभावी होने की तारीख	
(ब्यौहारी द्वारा मरा ज  1— मैं	ूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथव तन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत _से प्रभावी है। से बिल / बिक्री बीजक / चालान सo (माल का नाम लिखें) क्रय किया (क्हाराहारा
ैं वो वार व से कार है।	

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 133 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2009 dated 26 February , 2009 for general information.

# Government of Uttarakhand VITTA VIBHAG

NO. 133/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2009

Dehradun :: Dated: :26 February , 2009

#### **Notification**

In exercise of powers conferred by section 16 of the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008(Act no. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), and in supersession of the Uttarakhand(The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Rules, 1999) Adaptation and Modification Order, 2007, as amended from time to time, the Governor is pleased to make the following rules:-

# THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS RULES, 2009

Short title and commencement.

- (1) These Rules may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**Definitions** 

- (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
  - (a) "Act" means the Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008.
  - (b) "Form" means a form appended to these rules.
  - (c) "Section" means a section of the Act.
  - (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

Registration of dealer

(1) Any dealer, who is liable to pay tax under the Act and is already registered under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, or under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall not be liable to apply for registration under the Act. However, he shall be required to furnish the information in Form-A to the assessing authority under section 8.

bi.

on. 2008(Eag

3.

(2) Any dealer who is not registered under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, or under the Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and is liable to pay tax under the Act shall, for issue of registration certificate, apply to the assessing authority within a period of thirty days from the date on which such dealer has become so liable, in Form-1 prescribed under the Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 along with proof of deposit of registration fee of two hundred rupees;

Provided that a dealer who fails to apply for issue of registration certificate within the time prescribed, without prejudice to any other liability under the Act, may apply after depositing late fee at the rate of rupees one hundred for every month or part thereof from the date of expiry of the period referred to above in this sub-rule.

- (3) If the assessing authority is satisfied that the application is in order, the information furnished is correct and complete and the fee or late fee, if any, payable has been deposited, he may, unless he considers it necessary to demand security after making such enquiry as he deems fit, register the dealer and grant him a certificate of registration in Form-B.
- (4) If the assessing authority has demanded security, the dealer shall be registered and be granted a registration certificate only if the security so demanded has been furnished to the satisfaction of such assessing authority.
- (5) For grant, amendment and cancellation of registration certificate or rejection of registration application or the demand of security the provisions of section 15,17,18,19 and 20 of the Uttarakhand(The Uttarachal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply.
- (6) The cancellation of a certificate of registration shall not affect the liability of such dealer to pay the tax, penalty or any other dues due for any period whether such tax, penalty or any other dues are assessed before or after the cancellation.

Submission of returns and assessment of tax

- (1) Every dealer liable to pay tax under the Act, shall submit to the assessing authority his returns for a tax period in Form-C.
- (2) For submission of returns, annual return and assessment of tax, the provisions of rule 11 of the

s:/Psavesh kar Niyara, 2004(Eng. )/C/T

2

Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and section 25 and section 26 of the Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply to all dealers under the Act.

(3) Upon the expiry of the assessment year, the assessing authority after such enquiry, as he may deem necessary, shall determine the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax under section 5 of the dealer in respect of assessment year and shall assess the tax payable and reversal of tax if any:

Provided that in the case of a dealer who discontinues business during any assessment year, the assessing authority may make an assessment order and assess the tax payable and reversal of tax before the expiry of the assessment year:

Provided further that, before determining the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax to the best of his judgment, the assessing authority shall issue a show cause notice to the dealer for non-acceptance of the returns, if any, submitted by the dealer, and shall give him a reasonable opportunity of furnishing his reply thereto.

(4) If the tax assessed differs from the total amount of tax deposited by the dealer, the difference shall be realized or refunded, as the case may be, by the assessing authority in accordance with the provisions of the Act.

# Reversal of levy of tax

5-

(1) In case of the transaction within the State, any dealer who claims reversal of levy of tax under clauses (a),(c) and (e) of sub-section (1) of section 5 shall obtain a certificate in Form-D from the purchasing or consignee dealer and submit the original thereof to the assessing authority within three months after the expiry of the period to which the certificate relates:

Provided that if the assessing authority is satisfied that the dealer concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such certificate within the aforesaid time, he may allow such certificate to be furnished within such further time, not later than the time prescribed for filing annual return.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (16) of rule 30 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis

ŧ.

apply.

- (3) A single Form prescribed under sub-rule (1) shall cover the transaction made during the financial year subject to maximum monetary limit of rupees five lakhs, but this monetary limit shall not apply for the following types of dealers:-
  - (a) a department of the Central Government or the State Government or a Corporation or Undertaking established or constituted by or under a Central Act or an Uttarakhand Act or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, having any yearly turnover of rupees five crores or more, or
  - (b) dealer having an yearly turnover of rupees twenty five crores or more.
- (4) In case of inter-State trade and commerce or export out of the territory of India, any dealer who claims the reversal of tax under clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5, the declaration or certificate submitted under sub-rules (1),(5), (10), (11) and (11a) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, as the case may be, to the assessing authority, shall be the sufficient proof of the reversal of tax.
- (5) For the purpose of the reversal of tax levy, the provisions of rule 41,42 and 43 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply.

#### Manner of Payment

6. The Provisions of rules 19 and 20 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply for manner of payment of tax due under the Act.

# Realisation and deposit of tax by the manufacturer

- The manufacturer in Uttarakhand responsible for selling, supplying or otherwise dispatching the goods notified by the State Government, under sub-section (1) of section 12, to any person in Uttarakhand shall-
  - (a) receive the amount of tax payable on the value of goods through a demand draft in the name of the concerned assessing authority and shall deposit the same into the Government Treasury on or before 20<sup>th</sup> date of the next succeeding month:

Provided that the tax so collected upto 20<sup>th</sup> of March for the tax period ending on 31<sup>st</sup> of March, shall

7.

be deposited upto 25th of that month;

- (b) submit to the assessing authority on or before 20<sup>--</sup> date of next succeeding month, a monthly return of such turnover in Form-E giving detailed information in the Annexure thereof, along with the treasury challan for proof of the deposit of the tax;
- (c) issue a sale invoice specified in section 60 of the Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 to the dealer or the person, as the case may be, in which entry tax shall be shown separately;
- (d) the sale invoice issued by the manufacturer, as specified in section 60 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall be treated as sufficient proof of payment of tax due under the Act.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

11111

#### Form-A

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand
[See sub-rule (1) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2009]
Form for giving information regarding registration under the Uttarakhand(The Uttaranchal

Nalue Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007.

To,	
The Assessing Authority,	
Circle/Sector	
I,————————————————————————————————————	ty /Club or Association/ Head of Office/Officer  —Department of the Central or State  y authorised by the Principal Officer of the the name and style of Sarvashrithe  —(complete address) within your  Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005)
I middle of the Boos imply to an array	
Purpose	Name of goods
I- for the purpose of consumption -	
2- for the purpose of use	
3- for the purpose of sale	
I do hereby declare that the particulars furnish the best of my knowledge and belief.	ned in this application are correct and complete to
	Signature of applicant
	Status in relation to the dealer
	Permanent Address
·	
Place	

#### Form-B

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand
[See sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand

[See sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2009]

#### Counterfeil

Registration No
Name of dealer
Principal place of business
Branches
(1)
(2)
(3)
Date of Application
Date of grant of the certificate
Signature of assessing authority
Name of assessing authority
Circle/ Sector

#### Form-B

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand [See sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2009]

#### Dealer's copy

200001 2006)
Certificate of registration under section 8
Registration No
I, assessing authority ofCircle do
hereby register M/sWith effect
fromThe registration shall
remain inforce till the date of closer of
business or the date of cancellation of
registration, as the case may be.
The principal place of business is situated
atand the business carried on under
the name and style of M/s
There are the following branches
1
2
3
DateSignature
ScalName of assessing authority
Circle/ Sector

Form-C

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 4 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Return of Tax-monthly / quarterly

			• 3	
1. Assessment year	<del>-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -</del>	To [To ]	be filled in bl	lock letters only)
2. Tax period Ending on		<del>/</del>	<u></u>	_ <u>                                     </u>
3. Designation of Assessing Authority			<del>-</del>	
4. Name of Circle/ Sector	-  -  -			
5. Name/ address of the dealer/ Firm		<del></del>	- <u>-</u> -	<u></u>
6. Taxpayer's identification No	umber[Tin]			_ <del></del>

7- Receipt of goods into local area and calculation of Tax

St.	Name of	ino local area a	nd calculation of	Tax				
No.	1		Receipts of good	s into local area	and details of Ta			
1,40.	goods	Uttarakhand	From outside the local area but within Uttarakhand	From within local area				
	<b> </b>	Value of goods as defined	From manufacturers	From others	From manufacturers	From others		
		under clause(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	Value of goods [in Rs.]	Value of goods as defined under clause(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	Value of goods [in Rs.]	Value of goods as defined under clause(h) of sub-section (1) of section 2		
<del></del>	2	3	4	5	6	(in Rs.) 7		
					<del></del> -			
$\vdash$	<del></del>							
Total	<u>_</u>				<del></del> +	_ <b>_</b>		

To	tal valu	e of goods	received into	local area and	letaile of tou	thouse
Value of goods [in Rs.]	Rate of Tax	Amount of Tax	Rebate claimed, if any,	Tax paid to manufacturer	Tax paid in to	Balance
8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	treasury 13	14[10-(1]+12+13j]
					<u>_</u>	

<u> </u>	
1	
├── <i>─</i>	——— <del>—————</del> ————————————————————————————
i !	T

8- Details of goods consumed, used, sold or otherwise disnosed

SI. No.	Name of	Солѕитрії	Consumption, use, sale or otherwise disposal of goods by dealer								
	goods	Sale in the course of inter-state trade and commerce or in the course of exports or transfer of goods otherwise than by way of sale	Sale within Uttarakhand but outside local area	Sale within local area	Value of goods consumed or used	Value of goods otherwise disposed as specified in clause (a),(c) and (e) of sub-section (1) and sub- section (2) of section 5					
<del>  -</del>	-2-	3	4	5	6	7					
Total			- <u>-</u>								

# 9. Details of Tax Deposited

Name of Bank/Branch	Treasury Challan No.	Date	Amount of Tax					
Total Total	In figure							

#### Enclosures-

- 1- Treasury Chalian.
- 2- Annexure A for details of purchase in column 3,4,5,6 and 7 of serial 7 separately for each column.
- 3- Annexure B for details of sale in column 3,4,5,6 and 7 of serial 8 separately for each column.
- 4. Annexure B for details of rebate claimed in column 11 of serial 7.

#### **DECLARATION**

;	director, partner etc.) do hereby declare and verify the statements and figures given in this return are true a omitted or wrongly stated.	Status (ie.proprietor, nat, to the best of my knowledge and belief all the not complete and nothing has been willfully
٠.	Place Date	SignatureStatus

VAT Affectablesets/Peavesh Las Niyam, 2008(Eng. VI)

#### Апистиге- А

(List of purchases against Col. 3/4/5/6/7 of serial no. 7 of Form C to be filled separately for the Tax Period......of Year20......20......)

1-	Name and address of purchasing dealer			<u> </u>						 -	
	dealer							. <u>.</u>	:	-	
2.	TIN		-			1	-			I	
3.	Assessment	Year		<u> </u>					-		
4.	Expiry Date Tax Period	of	<u> </u>				-				

5.					Details of Pun	chase			
Sl. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax	Amount of Rebate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Authorised person
Full Name
Status

## <u>Апрехиге- В</u>

1-	Name and address of purchasing dealer				-			
2.	TIN	-	]	1	-		•	
3.	Assessment Ye	ar	<u></u>	 Ί_	 Π	-		
4.	Expiry Date of Tax Period	-			-			

5-		Details of Sales											
SI. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Sale price of Goods (in Rs.)	Correspon -ding purchase amount (in Rs.)	Reversal of Tax, if any, (in Rs.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	-	<u> </u>					1						
			. <u>-</u>	<u></u>	-								

Signature of Authorised person
Full Name
Status



# Annexure- C (Details of Rebate claimed in Col. 11 of St. No. 7)

1-	Name and address of purchasing				<u> </u>				<del>                                     </del>				
<u> </u>	dealer TIN				<u>                                      </u>	<u> </u>  -	<u> </u>		<u> </u>	 <u> </u>			
3.	Assessment Yo	 :ar		· [	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T .			.L.	 		<u> </u>	
4.	Expiry Date of Tax Period		-	T		T		<u></u>	T		-	_	

_ 5.	Details of Purchase										
SI. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax involved	Amount of Rebate, if any,		
1_	2_	3	4	5	6	7	8	9	10		
_	-						<u>-</u>				

Signature of Authorised	person
Full Name	***************************************
Status	
	***************************************

Department of Commercial Taxes, ( [See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on E	Government of Uttarakhand
SR. No	
COUNTERS (Certificate to be issued by th (To be filled by the	e purchaser to seller)
1- Signature of issuing officer 2- Name of issuing officer 3- Seal of the issuing officer 4- Date of issue 5- Name and Address of the dealer to whom issued 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective	(TIN)
(Yo be filled by th	e dealer)
I- I,	I Tax Act, 2005) Adaptation and Modification is effective from
*(b) tax liability is not on our Firm because the declaration Form No	ne goods have been sold to M/sandhas been received from him.
Place	Signature

\*Strike off whichever is not applicable.



#### Form-D

Department of Commercial Taxes, G [See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on En	
SI. No	
<u>DUPLICAT</u> (Certificate to be issued by the (To be filled by the	purchaser to seller)
1- Signature of issuing officer 2- Name of issuing officer 3- Seal of the issuing officer 4- Date of issue 5- Name and Address of the dealer to whom issued 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective	(TIN)
(To be filled by the	dealer)
1- I,	Tax Act, 2005) Adaptation and Modification is effective from
Place	Signature
*Strike off whichever is not applicable.	

#### Form D

Department of Commercial Taxes, ( [See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on E	Government of Uttarakhand Intry of Goods into Local Areas Rules, 2009)
SI. No	•
ORIGINA (Certificate to be issued by th (To be filled by th	e purchaser to seller)
1- Signature of issuing officer 2- Name of issuing officer 3- Seal of the issuing officer 4- Date of issue 5- Name and Address of the dealer to whom issued 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective	(TIN)
(To be filled by the	e dealer)
1- I,	Tax Act, 2005) Adaptation and Modification is effective from(name of the goods)vide bill/ sale invoice/ challan soods-
*(b) tax liability is not on our Firm because the declaration Form Nodated	he goods have been sold to M/sandhas been received from him.
Place Date	Signature
*Strike off whichever is not applicable.	

#### Form-E

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand
[See sub-rule (b) of rule 7 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

1. Name of the Manufacturer 2. Full laddress 3. Name and status of the person submitting the return (i.e. Proprietor, Partner, Director etc.) 4. Name of commodity on which tax has been realized 5. Aggregate of the value of goods supplied of the goods supplied during the month 6. Value of goods supplied on which no Tax has been collected(with reasons) 7. Value of goods on which Tax has been collected 8. Amount of Tax collected 8. Amount of Tax deposited 8. Amount of Tax deposited 8. Manuer of the Bank/ Branch  Declaration 1	Return of th	e turnover on t	which tax has	been reali	zed for the month o	of			
2- Full address 3- Name and status of the person submitting the return (i.e. Proprietor, Partner, Director etc.) 4- Name of commodity on which tax has been realized 5- Aggregate of the value of the goods supplied during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected(with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No Dated	1- Name of	the Manufactu	rer				******		
(i.e. Proprietor, Partner, Director etc.) 4 Name of commodity on which tax has been realized 5 Aggregate of the value of the goods supplied during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected(with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No	2- Full addr	ess			**	,	****		
(i.e. Proprietor, Partner, Director etc.) 4 Name of commodity on which tax has been realized 5 Aggregate of the value of the goods supplied during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected(with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No	3- Name an	d status of the	person submi	tting the re	turn				
4- Name of commodity on which tax has been realized 5- Aggregate of the value of the goods supplied during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected (with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 8- Amount of Tax deposited 8- Amount of Tax realised (challenge of the Bank/ Branch (challenge of the Find Status) 8- Amount of Tax realised (challenge of the Find Status) 8- Amount of Tax realised (challenge of the Status) 8- Amount of Tax realised (challenge of the Mumber and date of bank draft (challenge of the Value of goods (challenge of the Value of g						***************************************			
5- Aggregate of the value of the goods supplied during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected(with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No					lized		-		
during the month 6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected Rs									
6- Value of goods supplied on which no Tax has been collected (with reasons) 7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited Rs									
7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No			d on which no	Tax has b	een				
7- Value of goods on which Tax has been collected 8- Amount of Tax collected 8- Amount of Tax collected Rs									
8- Amount of Tax collected 9- Amount of Tax deposited  Challan No			h Tax has be	d R	ş				
Challan No		_			\$				
Challan No Dated					Ŕ	\$			
Turnover of the month of  Sl.No. Name and Bill/ sale Date (in Rs.)  I 2 3 4 5 6 7  Aggregate of the value of goods and tax realised.  Exclosure  1-Treasury Challan  Signature	M/sstatements a omitted or v	do i and figures give wrongly stated.	tereby declar en in this retu	s thee and verif um are true	Dated Name of aration(Proprietor, y that, to the best of and complete and	the Bank/ Brand Partner, Director f my knowledge nothing has been	or etc.) of the Fine and belief all the willfully		
Sl.No. Name and address of invoice the dealer no.  I 2 3 4 5 6 7  Aggregate of the value of goods and tax realised.  Exclosure  1-Treasury Challan  Signature	T	¢4141¢							
address of the dealer no.  I 2 3 4 5 6 7  Aggregate of the value of goods and tax realised.  Enclosure  1-Treasury Challan  Signature		-		Date	Value of goods	Tax realised	Number and		
the dealer no. draft  1 2 3 4 5 6 7  Aggregate of the value of goods and tax realised.  Enclosure  1-Treasury Challan  Signature	Si.No.			Daic	_	, ax realised			
Aggregate of the value of goods and tax realised.  Enclosure 1-Treasury Challan  Signature			<b>417</b>		(31 83.)				
Aggregate of the value of goods and tax realised.  Enclosure  1-Treasury Challan  Signature	<del>-  </del>	-				- 6			
Enclosure 1-Treasury Challan Signature	<u>                                   </u>	2		4	3	<del></del>	·		
Enclosure 1-Treasury Challan Signature					<u> </u>	<u> </u>			
Enclosure 1-Treasury Challan Signature							_		
Enclosure 1-Treasury Challan Signature					<u></u>	<u></u>			
1-Treasury Challan SignatureStatus	Aggrega	te of the value	of goods and	tax realise	×d				
***************************************		reasury Challan	n			-			
				)	CXXX				

u.

#### प्ररूप⊸र

# वाणिज्य कर विमाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 7 का उपनियम(ख) देखें]

आवर्त की	विवरणी जिस प	रमाह	के लिए	कर वसूल किया ग	ाया है		
	र्गिता का नाम			••••		•	
2 – पूर्णप			******				
3— विवरण (स्वार्म	गी दाखिल करने भी, साझीदार, निवे	वाले व्यक्ति का शक दलादि।	नाम एवं	प्रास्थिति		·	
4 वस्त व	का नाम दिस्म पर	कर वसूल किय	7 11 100	<b>*</b>	······		
5— माह व	हे टौरान सक्का <del>रि</del> न	माल के सकल	। 14। <del>एक</del>			·	
6— सम्बरि	त <b>म</b> ल का क्रम	िजिस पर कोई व	मूल्य का	याग			
नहीं किया	गया है(कारणों र	ाजस पर काइ । यक्ति	कर सम्बद्धाः	त			
7—संस मा	ाना <u>ए(स्थरना</u> ) लाका मुक्ता जिल्ह	ताहत) [ पर कर संब्रहीत	·	·	~·········		
8— संग्रहीर	त कर की धनरा	। पर पग्र सन्नक्षात <del>के</del>	क्ष्मा गर	पाह			
	केये गये कर की			··			
V -3 II 1	नत्य नाच चतर पत	वनसारा		***************************************			
						_	
					चालान १	<del>ti</del> o	
·					तारीख		
			_		बैंक / शा	खा का नाम	
ň	<del></del>	re <del>st</del> su≨e0e	भ	वना	-		
-1	गतरराज चीव	फन सपत्र। एक रूट <del>राज्यकी</del>	(	स्वामी, साझीदार, '	निदेशक इत्यादि	) के रूप में इ	ात हूँ
स्थाना मान्य स्थाना मान्य	। क्षाक्रकं सा (व । इ. आहे = चित्र	े इस ।ववरणाः स	। दय ग	हू का गरा सवात ये हैं, सत्य एवं पृ	एपे हैं और कुछ	र भी जानबूझ	कर नहीं
षुनावा नव	। रुआर नहां ग	लित रूप से कहा	गया है।			-	
•							
3911-1		•					
स्थान					हस्द्राक्ष	č	
दिनांक	·- <del></del>	• •			प्रास्थिति	ते	
		:					
			अनुल	ग्नक			
	_	·.	_				
माह का आव	<u> </u>						
क्र0सं0	ब्यौहारी का	बिल / बिक्री	तारीख	माल का मूल्य	वसल किया	बैंक ड्राफ्ट	ì
	नाम एवं पता	बीजक संख्या		(रु० में)	गया कर	की संख्या	
	<u>.                                    </u>			, , , ,	1414	एवं तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	
			_		<del>_</del>	<del>                                     </del>	
	· · ·	<u> </u>	_	<del>-</del> -	<del>-</del>	<u>-</u> . i	
			<del>-</del> -	<del></del>	<del>-</del>		
माल का	सकल मल्य एवं	वसूल किया गया			<u></u>	L	
<u>संल</u> ग्नक		4 (201 ) 41 41 4141		<del></del>	· ·	<u></u>	
<u></u> कोषागार :	चालान						
-							
					हस्ता 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	т				प्रास्	थति	
			хх	xxxx———		<del></del> -	

w\_

		<u> </u>